समक्ष डी. एस. तेवतिया; सुरिंदर सिंह, जे.जे.

एसटी एंड ईफेन केमिकल लिमिटेड, चंडीगढ़,-अपीलकर्ता।

बनाम

मैसर्स इनोसर्च लिमिटेड, नई दिल्ली,-प्रतिवादी।

1984 की कंपनी अपील संख्या 16।

25 जुलाई 1984.

कंपनी अधिनियम (1956 का 1)–धारा 433(ई), 434, 439 और 483–पंजाब और। हरियाणा उच्च न्यायालय नियम और आदेश, खंड V, अध्याय 3-बी नियम 1 (i) - एक लेनदार द्वारा याचिका को समाप्त करना - मूल राशि के संबंध में कंपनी दायित्व स्वीकार करना - ब्याज का भुगतान करने का दायित्व, हालांकि, विवादित - ऐसा विवाद - क्या हो सकता है कंपनी न्यायाधीश द्वारा निर्णय लिया गया - धारा 483 के तहत कंपनी अपील - क्या नियमित मामले के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए।

यह माना गया कि जहां कंपनी के न्यायाधीश ने मामले को जब्त कर लिया था और जब मूल ऋण का भुगतान करने की देनदारी पर विवाद नहीं किया गया था, तो कंपनी ने समापन की मांग की थी और वास्तव में, समापन से बचने के लिए ऋण का भुगतान किया था, कंपनी का फोरम न्यायाधीश यह निर्धारित करने के लिए उपयुक्त फोरम है कि क्या वह लेनदार प्रश्नगत राशि पर ब्याज का हकदार था या सड़ गया था। कानून की मूल नीति मुकदमेबाजी की बहुलता से बचना है। (पैरा 4)।

माना गया कि पंजाब और हरियाणा के खंड V में अध्याय 3-बी का नियम ।

उच्च न्यायालय के नियमों और आदेशों में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि खंड (i) में उल्लिखित मामलों की स्वीकृति के लिए एक प्रस्ताव को आम तौर पर अकेले बैठे न्यायाधीश द्वारा सुना और निपटाया जाएगा। स्पष्टीकरण एक अपवाद खंड (i) है और उपरोक्त उद्देश्य के लिए कंपनी की अपील सहित मामलों में स्पष्टीकरण के आधार पर, प्रवेश के लिए एक प्रस्ताव अकेले बैठे न्यायाधीश के बजाय दो न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष रखा जाना चाहिए। इस प्रकार, यह स्पष्ट होगा कि इस न्यायालय के प्रासंगिक नियम स्पष्ट रूप से एक कंपनी की अपील को एक डिवीजन बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की परिकल्पना करते हैं। एक बार जब कोई

मामला प्रवेश प्रयोजनों के लिए आता है, तो मामले की सुनवाई करते समय यह डिविजन बेंच का काम होगा कि वह या तो इसे अंतिम सुनवाई के लिए स्वीकार करे या यदि इसमें कोई योग्यता नहीं पाई जाती है तो इसे खारिज कर दे।

(पैरा 10.)

मेसर्स यूनिसिस्टम्स (पी) लिमिटेड बनाम स्टीफन केमिकल, कंपनी याचिका 77 ऑफ़ 1983 का निर्णय 20 जुलाई 1984 को हुआ।

खारिज कर दिया गया।

जी. आर. मजीठा, वरिष्ठ अधिवक्ता, अरुण सांघी, अधिवक्ता, के साथ

अपीलकर्ता.

(1) मेसर्स इनोसर्च लिमिटेड, 2ई/25, झंडेवालान एक्सटेंशन, नया

दिल्ली ने मेसर्स स्टीफन केमिकल लिमिटेड, फ्लैट नंबर 119-120, सेक्टर 17-बी, चंडीगढ़ को बंद करने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 433 और 434 के साथ पठित धारा 439 के तहत इस न्यायालय में याचिका दायर की, जिसे इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है। , इस आरोप के साथ कि पूर्व कंपनी ने रुपये के सामान की आपूर्ति की। याचिकाकर्ता कंपनी के बिल संख्या बी/ए-III/5, दिनांक 25 दिसंबर 1979 के तहत, आदेश संख्या 572/2110, दिनांक 18 दिसंबर, 1979 के विरुद्ध, बाद वाली कंपनी को 48,308; कि अनुस्मारक के बावजूद उक्त कंपनी ने बिल का भुगतान नहीं किया; 18 नवंबर, 1981 को याचिकाकर्ता कंपनी ने अधिनियम की धारा 434 के तहत दूसरी कंपनी को रुपये का भुगतान करने के लिए रेड डिमांड जारी की। कुल मिलाकर 50,842.05 पैसे रु. निर्दिष्ट अवधि के भीतर नोटिस की लागत के लिए 200; और उक्त नोटिस के बावजूद दूसरी कथित कंपनी भुगतान करने में विफल रही।

(2) कंपनी जू इगे के समक्ष मेसर्स स्टीफ़न केमिकल लिमिटेड ने प्रश्न में माल की कीमत के संबंध में अपनी देनदारी स्वीकार की और मूल राशि का भुगतान किया। हालाँकि, इसने उक्त राशि पर ब्याज के भुगतान के संबंध में अपनी देनदारी पर विवाद किया। विद्वान न्यायाधीश ने, अपने आदेश दिनांक 31 मई, 1984 द्वारा, मेसर्स स्टीफ़न केमिकल लिमिटेड को निर्देशित किया; याचिकाकर्ता को भुगतान करने के लिए कंपनी को मूल राशि पर बारह प्रतिशत ब्याज देना होगा।

(3) मेसर्स स्टीफन केमिकल लिमिटेड: (बाद में अपीलकर्ता के रूप में संदर्भित) ने कंपनी न्यायाधीश के उक्त आदेश को चुनौती दी है। अपीलकर्ता की ओर से यह रुख अपनाया गया कि ब्याज के भुगतान के संबंध में पार्टियों के बीच कोई समझौता नहीं था और न ही ब्याज के भुगतान के लिए कोई व्यापार प्रथा मौजूद थी। अपीलकर्ता का यह भी कहना है कि यदि कंपनी, जिसकी देनदारी मांगी गई है, लेनदार कंपनी को भुगतान करने के अपने दायित्व के संबंध में कोई वास्तविक विवाद उठाती है, तो उस विवाद का निर्धारण करने के लिए उपयुक्त मंच सिविल कोर्ट है, न कि सिविल कोर्ट। कंपनी जज. अपने प्रस्तुतीकरण के समर्थन में, अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने अमलगमेटेड कमर्शियल ट्रेडर्स (पी) लिमिटेड बनाम ए.सी.के. कृष्णास्वामी और अन्य, (1) पर भरोसा जताया और उसमें किए गए उनके आधिपत्य की निम्नलिखित टिप्पणियों पर ध्यान आकर्षित किया:

"यह अच्छी तरह से स्थापित है कि समापन याचिका एक वैध साधन नहीं है

उस ऋण के भुगतान को लागू करने की मांग करना जो कंपनी द्वारा विवादित है। एक याचिका जो स्पष्ट रूप से समापन आदेश के लिए प्रस्तुत की गई है, लेकिन वास्तव में इसका दबाव डालने के लिए खारिज कर दी जाएगी, और परिस्थितियों में उसे 'न्यायालय' की प्रक्रिया के निंदनीय दुरुपयोग के रूप में कलंकित नहीं किया जाएगा।

हमारी राय में, अमलगमेटेड कमर्शियल ट्रेडर्स (पी) लिमिटेड मामले का अनुपात वर्तमान मामले के तथ्यों से आकर्षित नहीं है। यह एक ऐसा मामला था जहां कंपनी की देनदारी के संबंध में एक वास्तविक विवाद उठाया गया था, जिसे लेनदार को किसी भी ऋण का भुगतान करने के लिए खत्म करने की मांग की गई थी और उनके आधिपत्य को लगा कि लेनदार ने उक्त कंपनी पर दबाव बनाने के लिए समापन की कार्यवाही शुरू की थी। . वर्तमान मामले में, ऋण की मूल राशि न केवल विवादित नहीं है बल्कि, वास्तव में, कंपनी न्यायाधीश के समक्ष समापन कार्यवाही शुरू होने के बाद लेनदार को भुगतान किया गया था। एकमात्र सवाल यह है कि क्या लेनदार भी उस राशि पर ब्याज पाने का हकदार था और क्या लेनदार को ब्याज वसूलने के लिए सिविल कोर्ट में कार्यवाही करनी चाहिए या कंपनी न्यायाधीश उस प्रश्न पर विचार करने के लिए सक्षम थे।

(4) हमारी राय में, जहां कंपनी के न्यायाधीश ने मामले को जब्त कर लिया था और जब मूल ऋण का भुगतान करने की देनदारी पर विवाद नहीं किया गया था, तो कंपनी ने समापन की मांग की थी और वास्तव में, ऋण को चुकाने के लिए समापन-अप से बचें, COMP का मंच; एनवाई न्यायाधीश यह निर्धारित करने के लिए उपयुक्त मंच है कि क्या वह लेनदार प्रश्नगत राशि पर ब्याज का हकदार था या नहीं। कानून की मूल नीति मुकदमेबाजी की बहुलता से बचना है।

(5) अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने हमें (मेसर्स यूनिसिस्टम्स (पी) लिमिटेड: बनाम स्टीफन केमिकल) (2) में दिए गए गोयल, जे. के आदेश का भी हवाला दिया, जिसमें गोयल, जे. ने

देखा था कि जहां कोई समझौता नहीं था ब्याज के भुगतान के लिए मौजूद था और लेनदार ने ब्याज का दावा किया था, कोई समापन आदेश पारित नहीं किया जा सका।

(6) सम्मान के साथ, यदि उक्त टिप्पणियों का उद्देश्य वर्तमान प्रकार के मामलों को कवर करना है, तो हम खुद को उस दृष्टिकोण से सहमत होने में असमर्थ पाते हैं। उक्त टिप्पणियाँ उस मामले पर सही ढंग से लागू हो सकती हैं जहां किसी पक्ष द्वारा शुरू में समापन की मांग की जाती है

(2) 1983 के सी.पी. संख्या 77 का निर्णय 20 जुलाई 1984 को हुआ।

आधार यह था कि ब्याज के रूप में कुछ राशि दूसरे पक्ष से बकाया थी जिसे दूसरा पक्ष नोटिस के बावजूद भुगतान करने में विफल रहा था और दूसरा पक्ष उठाता है ब्याज के भुगतान या किसी अन्य प्रशंसनीय आधार के संबंध में किसी सहमति के अभाव में ब्याज का दावा करने के लेनदार के अधिकार के बारे में एक वास्तविक विवाद, लेकिन स्थिति पूरी तरह से अलग होगी जहां कंपनी से देय कथित राशि मांगी गई है परिसमापन में मूल राशि को कंपनी न्यायाधीश के समक्ष स्वीकार कर लिया गया है और लेनदार को उक्त मूल राशि पर ब्याज प्राप्त करने के लिए नागरिक उपचार में शामिल करने की मांग की गई है।

(7) अंत में, विद्वान वकील ने तर्क दिया कि कंपनी की अपील को नियमित मामले के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। अपने तर्क के समर्थन में, उन्होंने मेसर्स गोलचा इन्वेस्टमेंट (पी) लिमिटेड पर भरोसा किया: बनाम शिंती चंद्रा बाफना, (3) और शांता जेनेवीनेव पोमेराट बनाम सैज़ल पेपर प्राइवेट। लिमिटेड : (4).

(8) ये निर्णय बॉम्बे उच्च न्यायालय के नियमों और दिशा-निर्देशों की व्याख्या से संबंधित हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट नियमों के अध्याय XLII में अपीलीय अदालत में अपील करने का प्रावधान है। इसका नियम 965 अपील के ज्ञापन का प्रारूप निर्धारित करता है। नियम 966 निर्धारित करता है कि ज्ञापन के साथ कौन से दस्तावेज़ दाखिल किए जाने चाहिए। नियम 966-ए निर्धारित करता है: “996-ए. निम्नलिखित मामलों में अपील, प्रथम दृष्टया, मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त की जाने वाली उच्च न्यायालय की पीठ के समक्ष प्रवेश के लिए रखी जाएगी:

(1) एक रिट याचिका को सरसरी तौर पर खारिज करने वाले आदेश के खिलाफ अपील संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत;11

(2) मोशन नोटिस या चैंबर समन के माध्यम से एक अंतरिम आवेदन पर एक आदेश से अपील; और

(3) सारांश मुकदमे में फैसले के लिए समन पर एक आदेश के खिलाफ अपील। यदि अपील स्वीकार कर ली जाती है, तो इसके बाद अपील के संबंध में निहित प्रावधान ऐसी अपील पर लागू होंगे।"

(9) उनके आधिपत्य ने नियम 966-ए की व्याख्या करते हुए कहा कि "इस नियम से यह स्पष्ट है कि इसमें उल्लिखित अपीलों के अलावा अन्य अपीलों को प्रवेश के लिए नहीं रखा जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, वे स्वाभाविक रूप से प्रवेश पाने के हकदार हैं। इसलिए, अपीलीय पीठ ने अपील को खारिज करके संक्षेप में गलती की। यह अपील पर विचार करने और गुण-दोष के आधार पर उसका निपटान करने के लिए बाध्य था।"

(10) बॉम्बे हाई कोर्ट के नियम पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के नियमों के बराबर नहीं हैं और इसलिए, मेसर्स गोलचा इन्वेस्टमेंट (पी) लिमिटेड और शांता जेनेवीनेव पॉमरेट के मामलों (सुप्रा) का अनुपात नहीं है। वर्तमान मामले के तथ्यों से आकर्षित। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अध्याय 3-बी, खंड V का प्रासंगिक संशोधित नियम I (i) इस प्रकार है: -

(11) इसके बाद निर्धारित प्रावधानों के अधीन, मामलों की निम्नलिखित श्रेणियों को आम तौर पर अकेले बैठे न्यायाधीश द्वारा सुना और निपटाया जाएगा: -

(1) की डिक्री के विरुद्ध प्रथम अपील स्वीकार करने का प्रस्ताव

अधीनस्थ न्यायालय, भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत नियमित पहली अपील, नियमित दूसरी अपील, आदेशों के खिलाफ पहली अपील, केंद्रीय या राज्य अधिनियम के तहत आदेश के खिलाफ पहली अपील, जब तक कि अधिनियम में अन्यथा प्रदान नहीं किया जाता है, निष्पादन पहली अपील, निष्पादन दूसरी अपील दूसरी अपील आदेश, केंद्रीय या राज्य अधिनियमों के तहत आदेश के खिलाफ दूसरी अपील, जब तक कि अधिनियम में अन्यथा प्रदान न किया गया हो, नागरिक पुनरीक्षण याचिकाएं

और सिविल प्रक्रिया संहिता या किसी अन्य केंद्रीय या राज्य अधिनियम के तहत कोई अन्य आवेदन या याचिका, जब तक कि संहिता या अधिनियम में अन्यथा प्रदान न किया गया हो।

स्पष्टीकरण: मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए पुरस्कार के खिलाफ अपील की स्वीकृति के लिए प्रारंभिक सुनवाई, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत पारित डिक्री या आदेश के खिलाफ अपील। पत्र पेटेंट अपील, सिविल अपील (अवमानना), कंपनी अपील, बिक्री कर मामले और उपहार कर मामले दो न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष होंगे।

ऊपर बताए गए नियम 1 में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि इसके खंड (i) में उल्लिखित मामलों के प्रवेश के लिए एक मोल™ को आम तौर पर अकेले बैठे न्यायाधीश द्वारा सुना और निपटाया जाएगा। स्पष्टीकरण खंड (i) का अपवाद है और उपरोक्त उद्देश्य के लिए कंपनी की अपील

सहित मामलों में स्पष्टीकरण के आधार पर, प्रवेश के लिए एक प्रस्ताव, एक न्यायाधीश की बैठक के बजाय दो न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष रखा जाएगा। अकेला। इस प्रकार यह स्पष्ट होगा कि इस न्यायालय के प्रासंगिक नियम स्पष्ट रूप से एक कंपनी की अपील को एक डिवीजन बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की परिकल्पना करते हैं। एक बार जब कोई मामला प्रवेश प्रयोजनों के लिए आता है, तो मामले की सुनवाई करते समय यह डिविजन बेंच का काम होगा कि वह या तो इसे अंतिम सुनवाई के लिए स्वीकार करे या यदि इसमें कोई योग्यता नहीं पाई जाती है तो इसे खारिज कर दे।

(11) उपरोक्त कारणों से, अपील को खारिज कर दिया गया है।

सुरिंदर सिंह, जे.-मैं सहमत हूं

अस्वीकरण :

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अमित
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
नूह, हरियाणा